न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 06/2017

जगुराम पुत्र मंगलरीरम जाति बावरी निवासी ओडकी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—— **अपीलार्थी**

बनाम

1. आसाराम पुत्र लाधुराम जाति बावरी निवासी चक 3 के एम डी तहसील छतरगढ जिला बीकानेर ।
2. कालूराम पुत्र लाधुराम जाति बावरी निवासी चक 3 के एम डी तहसील छतरगढ जिला बीकानेर ।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।
4. रामजी पुत्र मंगलाराम जाति बावरी निवासी ओडकी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

——**रेस्पोडेंटस**

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानर

दिनांक 30.11.2016

उपस्थितिः—

श्री ओमप्रकाश बतरा अभिभाषक अपीलांट।

श्री बलराम स्वामी अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 व 2।

श्री गुरप्रीतसिंह अभिभाषक रेस्पो.संख्या 4 ।

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता ।

निर्णय **दिनांकः 08.09.2017**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं वादीगण /रेस्पो. सं. 1 व 2 ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष रा.का.अ. की धारा 88 व 188 कर मंगलराम के परिवार की वंशावली दर्शाते हुए पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के पिता व माताओं के नाम से चक 2 डी के मु.न. 24 की

8/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

24 बीघा भूमि पुनर्वास विभाग द्वारा आवंटन की गई थी । मंगलाराम की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि आधी–आधी धापा व पारा के नाम कर दी गई । धापा के नाम से 12 बीघा भूमि चक 2 डी बडी के मु.न. 24 के कि.न. 1 से 13 की 12 बीघा भूमि खातेदारी दर्ज है। पारी की मृत्यु हो गई जिसके जिस्म से वादीगण पैदा हुए थे और वादीगण ही पारा के वैधानिक व जायज वारिस है जो पारा की भूमि विरासतन पाने के अधिकारी है एवं उक्त भूमि पर वादीगण का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है परन्तु प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप कर रहें है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को इस सम्बन्ध में कई बार कहा कि वे वादीगण के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे किन्तु दिनांक 15.01.1990 को वादीगण को धमकी दी कि वे कब्जा करेगे । यहीं वादकारण पैदा हुआ । अतः निवेदन है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वाद पत्र के अनुतोष की मद संख्या क व ख के अनुसार डिक्री किया जावें ।

वादी पेश होने पर प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रतिवादीगण ने जबाव दावा पेश कर वाद को खारिज करने का निवेदन किया । इसी प्रकार वादीगण धापां आदि द्वारा अधी.न्यायालय में एक वाद रा.का.अ. की धारा 91,188,88 धापां आदि बनाम आसाराम आदि पेश किया ।

दावा एवं जबाव दावा के आधार पर अधी.न्यायालय ने अनुतोष सहित 4 वाद बिन्दु कायम किये गये ।

अधी.न्यायालय ने दोनों वादों का निर्णय एक साथ करते हुए दिनांक 30.11.2016 को वाद स्वीकार करते हुए विवादित 12 बीघा भूमि में 2/3 का वादीगण को व शेष 1/3 हिस्सा का प्रतिवादीगण को अधिकारी घोषित किया गया एवं पत्रावली संख्या 86/1992 आसाराम बनाम जगुराम में पारित आदेश दिनांक 12.09.1994 को 12 बीघा भूमि पर किया गया रिसीवर आदेश को निरस्त किया गया है। जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहरेाते हुउ कथन किया कि तनकी सं0 1 को साबित करने का

8/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

भार वादीगण पर था । भूमि मंगलाराम को आवंटित हुई थी , मंगला की पत्नी धापा है तथा अपीलांट मंगलाराम के लडके है, पारा मंगला की पत्नी नहीं है। आसाराम व राजूराम ने एक वाद सिविल न्यायालय में पेश कि उन्हें मंगलाराम का उतराधिकारी घोषित किया जावे जो खारिज हो चुका है एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का लाधुराम का लडका माना है । अधी.न्यायालय ने तनकी सं.1 का निर्णय वादीगण को पक्ष में करने में भूल की है। तनकी सं0 2 को साबित करने का भार वादीगण पर था अपीलार्थीगण मंगलाराम के लडके है इसलिए वे तमाम भूमि के हकदार है । अधी.न्यायालय ने 2/3 हिस्सा का खातेदार घोषित करने में कानूनी भूल की है। इसी प्रकार तनकी सं. 3 का निर्णय भी अधी.न्यायालय ने गलत किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण ने अधी.न्यायालय में वाद पेश किया जिसमें मंगलाराम के परिवार की वंशावली दर्शाई गई । वादीगण मंगलाराम के वारिस है। वादीगण द्वारा अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से पूर्णरूप से साबित किया है। अधी. न्यायालय ने प्रत्येक तनकी का विस्तृत विवेचन करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील के निर्णय का Key person मंगलाराम बावरी है जिसे प्रकरण हाजा की विवादित भूमि आवंटित हुई थी जो कहीं पर deny नहीं हुआ । जिसकी दो पत्नियां धापा देवी व पारों देवी थी । इनमें भी धापादेवी पहली पत्नी पत्रावली पर रेकार्ड से साबित है तथा यह भी साबित है कि पहली पत्नी धापादेवी के जीतें जी मंगलाराम ने दूसरी शादी पारादेवी से की जो Hindu personal Law में Bigamy के रूप में परिभाषित है जो हिन्दु Marriage Act तथा भारतीय दण्ड संहिता में न केवल अपराध माना गया है अपितु दण्डनीय अपराध होकर "Rights of second Wife with reterence to Bigamous marraige in india" में

8/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

Indian Jurisprudence के माननीय दृष्टिकौण विधि विशेषज्ञो ने द्वितीय पत्नी की पिड़ाओं को मध्यनजर रखते हुए यह पीठासीन अधिकारी के discretion पर छोडाा गया कि द्वितीय पत्नी के maintenance एवं अधिकारों की रक्षा करे। इसी अवधारण अनुसार मंगलाराम की मृत्यु उपरान्त उसे आवंटित कृषि भूमि उसकी दो पत्नियों धापादेवी व पारोदेवी में devolve हुई पहली पत्नी की विरासत निर्विवाद है परन्तु द्वितीय पतनी की विरासत का प्रश्न कई वर्षो से अनसुलझा है, दावा, जबाव दावा , तनकीयात साक्ष्यों द्वारा अधी.न्यायालय परीक्षण न्यायालय, अपीलीय न्यायालयों द्वारा सिलसिलेवार पारो की विरासत निर्णित करने का प्रयास किया परन्तु विवाद निस्तारित न होकर प्रकरण हाजा में बतौर अपील कानूनी प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में निर्णित होने की मोहताज है। यह निर्विवाद है कि मंगलाराम की पहली पत्नी धापादेवी की कृषि भूमि उनके वारिसान जगू व रामजीलाल में devolve योग्य है तथा दूसरी पत्नी पारो को भारतीय कानून मान्यता नहीं देता है फिर भी उसे प्राप्त कृषि भूमि किसी प्राप्त हो विनिश्चय का मुख्य बिन्दु है । जिसके claimat में एक मंगलाराम की पहले पत्नी धापा के पुत्र जगूराम है व दूसरा claimat आसाराम व कालूराम है जो मंगलाराम की दूसरी पत्नी पारो से पैदा होना बताकर पारो के वारिस होना बताते है जिसे अपीलांट एक सिरे से खारिज कर रेस्पो. पारो व मंगलाराम की सन्तान न होकर लादूराम व उसकी पत्नी सुगनी की संताने है । इस बाबत साक्ष्य सबूत पत्रावली पर उपलबध है तथा यह तथ्य भी पत्रावली पर उपलब्ध है कि सिविल न्यायालय द्वारा निर्णित वाद अनुसार कालूराम व आसाराम (रेस्पो.) मंगलाराम व पारो की Biological संताने नहीं है।

विवाद का समाधान पत्रावली की समस्त proceedings को superceed करते हुए रेस्पो. आसाराम व कालूराम कानूनी उतराधिकारी प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर अनुतोष के पात्र हो सकते है जिसके अभाव में मंगलाराम को आवंटित कृषि भूमि उसकी मृत्यु उपरांत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 के प्रावधानुसार कानून की निगाहों में उसकी वैध पत्नी धापा व उसके heirs में devolve योग्य होकर अपील अपीलांट स्वीकार की

8/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2016 निरस्त किया जाकर मंगलाराम को आवंटित समस्त कृषि भूमि उसके विधिक वारिसान उसकी प्रथम वैद्य पत्नी धापा व उसके वारिसान के नाम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/9/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

डिक्री व सीगे अपील

(ओ. 41 रूल 35, जाब्ता दिवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'G'-9)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

इजलाल श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी

जगुराम पुत्र मंगलाराम जाति बावरी निवासी ओडकी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

——अपीलांट

बनाम

1. आसाराम पुत्र लाधुराम जाति बावरी निवासी चक 3 के.एम.डी. तहसील छतरगढ जिला बीकानेर।
2. कालूराम पुत्र लाधुराम जाति बावरी निवासी चक 3 के.एम.डी. तहसील छतरगढ जिला बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।
4. रामजी पुत्र मंगलाराम जाति बावरी निवासी ओडकी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

——रेस्पोंडेंट्स

अपील संख्या 06 सन् 2017 व नाराजगी डिक्री अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर निर्णय दिनांक 30.11.2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 08 माह 09 सन् 2017 रूबरू मुझ हाजरी श्री ओमप्रकाश बतरा अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट व श्री बलराम स्वामी अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 व 2, श्री गुरप्रीत सिंह अभिभाषक रेस्पों. सं. 4 व श्री इकबाल सिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता समाहत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2016 निरस्त किया जाकर मंगलाराम को आवंटित

8/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

समस्त कृषि भूमि उसके विधिक वारिसान उसकी प्रथम वैध पत्नी धापा व उसके वारिसान के नाम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिग .....X.....) रूपये ..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 08 माह 09 सन् 2017 को जारी किया गया।

8/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर